(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या– 1381 –औ0सं0/2012–26 (2) ए0एस0/06

दिनांक 15 मई, 2012

सर्वोच्च प्राथमिकता
अति महत्वपूर्ण

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमान्चल/पूर्वान्चल/मध्यान्चल/दक्षिणान्चल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि0,
मेरठ/वाराणसी/लखनऊ/आगरा/कानपुर,

निदेशक (परिचालन)/(कार्मिक प्रबन्धन)/(कार्य एवं परियोजना),
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
लखनऊ।

विषय :– बाह्य एजेन्सियों (ठेकेदारों /संविदाकारों) के माध्यम से उपकेन्द्रों/ लाइनों के अनुरक्षण आदि के कार्य पर रखे जाने वाले संविदा श्रमिकों की सेवा शर्तो एवं दुर्घटनाओं आदि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन द्वारा फरवरी 2007 से भेजे गये 13 परिपत्रो के अनुक्रम में प्रेषित पत्र संख्या–3883–औस/पाकालि/2011–26(2)ए0एस0/06 दिनांक 03.01.2012 का संदर्भ ग्रहण करे, इस पत्र द्वारा पुनः यह परामर्शित किया गया था कि संविदाकारो द्वारा नियोजित संविदा कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान चेक के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जमा कराया जाय, संविदा कार्मिकों का दुर्घटना बीमा कराया जाय ताकि नियमानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान हो सके संविदा में प्रशिक्षित कार्मिको को नियोजित करना सुनिश्चित किया जाय, सुरक्षा व श्रम कानूनो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय, ई0पी0एफ0 की कटौती सुनिश्चित की जाय। यह भी निर्देशित किया गया था कि उक्त आदेशो का अनुपालन 31.03.2012 तक सुनिश्चित कर लिया जाय तथा आदेशो का अनुपालन न करने वाले कार्मिको/अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

इसी संदर्भ में कारपोरेशन के पत्र संख्या–1008–औस/2012–26(2) ए0एस0/2006 दिनांक 11.04.2012 द्वारा उक्त परिपत्र दिनांक 03.01.2012 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या कारपोरेशन को 15 दिन में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो प्रतीक्षित है।

कारपोरेशन प्रबन्धन के समक्ष विभिन्न माध्यमों, कर्मचारी संगठनो से यह संज्ञान में आ रहा है कि कारपोरेशन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशो का अनुपालन क्षेत्रीय अधिकारियो द्वारा अभी तक नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि :–

1 संविदा कर्मियों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जाय तथा यह भुगतान सम्बन्धित इकाई के निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष किया जायेगा तथा निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि इकाई के संविदा कर्मियों को भुगतान उसके समक्ष किया गया।

2 संविदाकार के माध्यम से नियोजित कार्मिको हेतु अनुभवी कार्मिकों एवं आई0टी0आई0 प्रशिक्षु को वरीयता दी जाय।

2/–

3 संविदा पर कार्मिको को लिये जाने के सम्बन्ध में टेण्डर का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय तथा इसे बेवसाइट पर भी डाला जाय। संविदाकार द्वारा नियोजित किये जाने वाले कार्मिकों का विवरण उनके फोटो तथा श्रम कानून के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेंस सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

4 टेण्डर फाइनल करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि ठेकेदार/संविदाकार का पूर्व ट्रैक रिकार्ड क्या है, उसने कहाँ–कहाँ पर कार्य किया है, तथा कितने मजदूर संविदा पर कार्य हेतु नियोजित किये है एवं पूर्व कार्य अवधि में कितने श्रमिकों की दुर्घटनाएं हुयी है।

5 श्रमिको की सहकारी समिति द्वारा निर्धारित मानको को पूर्ण करते हुए यदि टेण्डर दिया जाता है तो ऐसी सहकारी समिति को वरीयता प्रदान किये जाने पर विचार किया जाय।

6 संविदाकार/ठेकेदार को प्रतिमाह भुगतान के समय यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि सम्बन्धित संविदा कर्मियों के सम्बन्ध में ई0पी0एफ0 की कटौती विगत माह की मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध में सम्बन्धित भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में प्रेषित की जा चुकी है।

7 ठेकेदार/संविदाकार के माध्यम से विद्युत अनुरक्षण कार्य में लगाये गये संविदा कर्मियों को निदेशक विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप अनुरक्षण कार्य के लिये आवश्यक टी0एण्ड पी0, सुरक्षा उपकरण यथा दस्ताने, प्लायर, सुरक्षा बैल्ट आदि की व्यवस्था संविदाकार द्वारा सुनिश्चित कराई जाये।

8 संविदा कर्मियों की कार्य करते हुये दुर्घटना की स्थिति में क्षतिपूर्ति हेतु संविदा कर्मियों का दुर्घटना बीमा संविदाकार द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9 कारपोरेशन के आदेश संख्या–103–औस/2012–19(125)/2001 दिनांक 23.01.2012 में निहित प्राविधान के अनुसार **संविदा कर्मी की कार्य करते समय घातक विद्युत दुर्घटना होने पर रू0 1.00 लाख अनुग्रह धनराशि सम्बन्धित मंडल के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत कर भुगतान तत्काल सुनिश्चित कराया जाय तथा भुगतान की गई धनराशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार को देय बीजको में से एकमुश्त उसी माह में की जाय।**

10 संविदा कर्मियों को फोटो युक्त पहचान पत्र सम्बन्धित संविदाकार एवं इकाई के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर प्रदान किया जाय।

11 कारपोरेशन के निर्देशो की अवहेलना करने वाले संविदाकार को ठेका न दिया जाय ओर उन्हें **'ब्लैकलिस्ट'** किया जाये साथ ही सम्बन्धित इकाई के दोषी अधिकारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का निष्ठापूर्वक कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा डिस्काम के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं/संविदाकारो के सम्बन्ध में उपर्युक्त निर्देशानुसार पूर्ण विवरण दिनांक 15.07.2012 तक अद्योहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करे।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या– 1381 – (1) औ0सं0/2012/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/ (वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य) /(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/(पारेषण)/(जानपद) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक